असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 जुलाई, 2021

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर पूरक नहीं पूछिएगा तो आगे बढ़ जाने पर फिर आपको समय नहीं मिलेगा । और भी माननीय सदस्य इंतजार कर रहे हैं ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, पूरक में यही है कि वे सड़कें जो ग्रामीण कार्य विभाग से बनायी गयी हैं 9 टन भार वाले, उससे वह सहन नहीं होता है, पथ निर्माण विभाग से वे सड़कें बनायी जायं, जो मानक होता है ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न तो पथ निर्माण विभाग से ही किया था और जो सवाल का उत्तर दिया गया है, उसमें स्पष्ट है कि जो अधिग्रहण नीति है, ग्रामीण कार्य विभाग से पिछले वर्ष 25.02.2020 को यह निर्णय हुआ कि अब ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें ग्रामीण कार्य विभाग ही बनायेगा और जिस स्तर के सड़क का प्रस्ताव आपको देना है आप ग्रामीण कार्य विभाग को ही देंगे, इसलिए अधिग्रहण का कोई सवाल हमारे यहां नहीं आ पायेगा ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, मेरा कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग बनायेगा तो क्या वही 9 टन भार वाला ही बनायेगा ? उससे तो सड़क तुरंत खत्म हो जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिए,

माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-125, श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र सं0-197, जगदीशपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : 1-अस्वीकारात्मक ।

जिला पदाधिकारी, बक्सर का पत्रांक- 1387, दिनांक- 23.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2001 में हुए परिसीमन में ग्राम उम्मेदपुर को ग्राम पंचायत गहौना में जोड़ा गया । नये परिसीमन 2011 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

2-स्वीकारात्मक ।

3-अस्वीकारात्मक ।वस्तुस्थिति यह है कि ''बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 11 (1) के प्रावधानों के अनुसार यथासंभव सात हजार के निकटतम जनसंख्या वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है ।

राज्य में ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या काफी है (लगभग 6000), जिनकी जनसंख्या सात हजार की मानक जनसंख्या से बहुत ज्यादा हो चुकी है । जनसंख्या को आधार मानकर किसी ग्राम पंचायत विशेष को एक से अधिक ग्राम पंचायतों में पुनर्गठित करने से अन्य ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव भी प्राप्त होने लगेंगे जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी । वर्तमान में पंचायती राज

संस्थाओं के संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसमें पंचायतों हेतु पंचायत सरकार भवन, पंचायत के कर्मियों की व्यवस्था, वार्ड सभाओं को संस्थागत तरीके से सुदृढ़ करना सन्निहित है । ये सभी कार्य वर्तमान ग्राम पंचायतों के संख्या के आधार पर किये जा रहे हैं जिसे पूरा होने में समय लगेगा । इस दृष्टिकोण से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन करना सरकार द्वारा उचित नहीं समझा गया है ।

इसे दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 127 में यह प्रावधान किया गया है कि जबतक 2021 की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि 2011 की जनगणना पर विनिश्चित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पुनर्निर्धारण करे ।

वर्ष 2016 के पंचायत आम चुनाव वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर गठित पुराने निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में कोई परिवर्तन किये बिना वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कराये गये हैं । राज्य सरकार वर्ष 2021 की जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन होने तक राज्य में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का विचार नहीं रखती है ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, मुझे यह पूछना है कि उम्मेदपुर ग्राम पहले हरनाथपुर/महुआर पंचायत में था, अभी नया परिसीमन में है, गहौना पंचायत में कर दिया गया है । इस गांव की आबादी 800 है । नदी के पार, एक गांव को उस पार कर दिया गया है, जनता को आने-जाने में काफी कठिनाई होगी । 2021 के जनगणना के आधार तक इसको रोका जाय और पूर्व के पंचायत में ही उम्मेदपुर गांव को रखा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 2011 के बाद परिसीमन नहीं किया गया है और जो परिसीमन में उम्मेदपुर को ग्राम पंचायत गहौना में जोड़ा गया है । जिलाधिकारी, बक्सर के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है, हम इसको दिखवा लेते हैं अगर नदी के उस पार होगा तो इसकी समीक्षा करके इसको ठीक करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0- 126 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0- 33, खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कमला पश्चिमी मुख्य नहर से निःसृत किंग्स नहर के आर0डी0- 55.00 से 58.00 के दोनों ओर लगभग